टेलीफोन नं.–0522–7106628
E Mail :- ctcpup@gmail.com

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी. / 1–ए–वी 5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

पत्रांकः 1257 / टी.ओ.डी. / मास्टर प्लान / 2022–23, दिनांक 31/10/2022

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा, कानपुर, लखनऊ,
मेरठ, गाजियाबाद
विकास प्राधिकरण।

विषयः– उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेण्ट नीति, 2022 के अनुपालन में टी.ओ.डी. जोन्स के लिए जोनल डेवलमेण्ट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विदित है कि शासनादेश संख्या 2120 / आठ– 3–22–198विविध / 14 दिनांक 24 अगस्त 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेण्ट नीति, 2022 जारी की गई है। उक्त नीति के अनुपालन में ट्रांजिट परियोजनाओं के टी.ओ.डी. जोन्स को आगरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद नगरों हेतु तैयार की जा रही महायोजना में चिह्नित एवं सीमांकित करते हुये टी.ओ.डी. जोन्स के लिए जोनल डेवलपमेण्ट प्लान तैयार किया जाना है।

2. इस सम्बन्ध में दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को बैठक सम्पन्न हुई जिसमें यह संज्ञान में आया कि नगर की तैयार की जा रही महायोजना में टी.ओ.डी. जोन का चिह्नांकन / सीमांकन शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

3. उक्त के क्रम में नगरों की प्रारूप महायोजना में टी.ओ.डी. जोन्स के चिह्नांकन / सीमांकन को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. के सभागर में निम्नांकित समय–सारणी के अनुसार बैठक आहूत की गई हैः–

क्र.सं.	नगर का नाम	तिथि एवं समय
1	आगरा, कानपुर, लखनऊ	03 नवम्बर 2022, पूर्वान्ह 11:30 बजे
2	मेरठ, गाजियाबाद	07 नवम्बर 2022, पूर्वान्ह 11:30 बजे

4. अतः अनुरोध है कि बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु विकास प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक / नगर नियोजक को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 2754 / आठ–3–2022 दिनांक 28 अक्टूबर 2022 के अनुसार टी.ओ.डी. जोन्स की सीमाओं के वास्तविक / भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन / सीमांकन करते हुये तदनुसार महायोजनाओं के संशोधित प्रारूप पर आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जा सके।

भवदीय,

31/10/22

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को सादर सूचनार्थ।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

3. श्री एन.आर. वर्मा, सलाहकार, आवास बन्धु, उ.प्र. को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव प्रदान करने हेतु बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
4. श्री जी.एस. गोयल, सलाहकार, आवास बन्धु, उ.प्र. को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव प्रदान करने हेतु बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
5. चीफ कोऑर्डिनेटर प्लानर, एन.सी.आर. सेल, गाजियाबाद, को बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित।
6. सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, आगरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ को बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित।
7. सम्बन्धित कन्सल्टैण्ट्स को समस्त अभिलेखों सहित बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित।

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।